न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 132/2012
आरसीएमएस नं. 2012/00184

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।
–अपीलाण्ट

बनाम

1. हजारा सिंह पुत्र भगतराम
2. सरवन सिंह पुत्र वीर सिंह
3. चन्द्रपाल पुत्र वीर सिंह
4. माया देवी पुत्री दरबारा सिह
5. मुखत्यारो पुत्री दरबारा सिंह
6. जगीरो पुत्री दरबारा सिंह
7. रामा देवी पुत्री दरबारा सिंह
8. वीरो देवी पुत्री दरबारा सिंह
9. भाग सिंह पुत्र दरबारा सिंह
10. मुखत्यारो पुत्री दरबारा सिह
11. बुधराम पुत्र दरबारा सिंह
12. पालो पुत्री दरबारा सिंह
13. रानी पुत्री दरबारा सिंह
14. बलवीरो पत्नी मोहन सिंह
15. मीरा बाई पुत्री मोहन सिंह
16. राजपाल पुत्र मोहन सिंह
17. राजपाल पुत्र मोहन सिंह
18. पाल सिंह पुत्र मोहन सिंह
19. लक्ष्मी पुत्री मोहन सिंह
20. जीत सिह पुत्र मोहन सिंह

जाति बावरी सा0 खाराखेड़ा तह0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– रेस्पोडैन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट
विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.02.2012
द्वारा उपखण्ड अधिकारी उपखंड अधिकारी टिब्बी
प्रकरण संख्या 1/2012 बअनवान प्रार्थना–पत्र दरबारा सिंह आदि खातेदारी सनद देने के संबंध में ।

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री अनिल कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1

निर्णय दिनांक – 3.3.2023

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट ने उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष चक 1 सीडीआर की कुल 6.072 है0 भूमि की खतोदारी दिये जाने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसील की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त उक्त भूमि को रेस्पोडेण्ट्स के हक में अपीलाधीन आदेश के जरिये खातेदारी सनद जारी करने तथा राष्ट्रपति भारत सरकार का नाम कलमजन किये जाने के आदेश जारी कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम के बिन्दुओं के दोहराते हुए कथन किया प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धि आवंटन आदेश ही अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया तथा मूल आवंटन पत्रावली तलब किये बिना ही प्रश्नगत भूमि का किसी सूरत में खातेदारी नहीं दी जा सकती थी आदेश इसी आधार पर काबिल निरस्ती है। मूल आवंटन द्वारा आवंटन की अगर कोई राशि बकाया थी तो वह खजानाराज में जमा करवाई गई या नहीं इस तथ्य हेतु पत्रावली न्यायालय की पत्रावली तलब की जानी आवश्यक थी परन्तु मूल आवंटन पत्रावली तलब किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्गनत भू के कब्जा काश्त के संबंध में कोई जांच नही की गई। भूमि धारक प्रकरण में आवश्यक पक्षकार था परन्तु उसे पक्षकार ना बनाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इस कारण नोन जोइन्डर आफ नैसेसरी पाटी नुक्स होने के कारण अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अपीलाण्ट भू धारक होने के कारण पूर्णतः प्रभावी पक्षकार है। विद्वान अधिवक्ता ने मियाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु पर कथन किया कि माननीय जिला कलक्टर कार्यालय से विधि परीक्षण के बाद पत्र प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर राजकीय अधिवक्ता से राय कर अपील प्रस्तुत की गई है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। डिले कन्डोन की जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. रेस्पोडेण्ट सं0 1 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया जितनी राशि बनती थी, उसका चालान जमा करवा दिया है। स्वत्व एवं कब्जे के बारे में अर्थात हक एवं कब्जा काश्त के बारे में कोई विवाद नहीं है। प्रश्नगत भूमि भगतराम आवंटित हुई। मूल अलाटी का देहांत हो गया जिसके जायज व कानूनी वारिस इस भूमि पर काबिज हैं। प्रश्नगत भूमि आवंटी भगतराम के नाम दर्ज है एवं वारिसों के कब्जा काश्त में है। प्रश्नगत आदेश तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है इसलिए मूल आवंटन पत्रावली की आवश्यकता नहीं है है क्योंकि तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट रिकार्ड के आधार पर तैयार की है। तहीसलदार स्वयं द्वारा रिपोर्ट बनाई गई है। वह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा हैं। अपीलाण्ट ने अपील देरी से प्रस्तुत करने का कोई समुचित पर्याप्त विश्वसनीय कारण स्पष्ट अंकित नहीं किया है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया एवम् उभयपक्ष की बहस पर मनन किया ।

6. पत्रावली का गुणावगुण पर निस्तारण होना अधिक श्रेयष्कर होना दृष्टिगत रख मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशप होने तथा उसका खण्डन प्रस्तुत नहीं होना दृष्टिगत रख न्यायहित में डिले कन्डोन की जाकर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है मुताबिक जमाबन्दी संवत 2066 से 69 चक 1 सीडीआर की प्रश्नगत भूमि भगतराम वल्द वीरूराम खाराखेड़ा अलॉटी राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मूल अलॉटी के नाम दर्ज है और रेस्पोडेण्ट मूल आवंटी के वारिस हैं। अपीलाण्ट ने ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे साबित हो कि प्रश्नगत भूमि की कोई बकाया राशि हो, भूमि सिलिंग सीमा से अधिक हो। अधीनस्थ न्यायालय ने बकाया के संबंध में राजस्व लेखाकार की रिपार्ट प्राप्त की है जिसके अनुसार किसी प्रकार की कोई राशि बकाया नहीं है। भूमि अलौटी के वारिस प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है किसी प्रकार का विवाद नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत विपरीत अपीलाण्ट ने अन्य कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.02.2012 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 3.3.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

3/3/23

(करतार सिंह पूनियां)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)